

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड हनुमानगढ



क्रमांक:- 3222

(9/58-59, राज0 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन-01552-244318/244176)

दिनांक:- 30/11/15

“संशोधित - आवश्यक सूचना”

दिनांक 18.11.2015 को राजस्थान पत्रिका के हनुमानगढ/श्रीगंगानगर संस्करण में प्रकाशित आवश्यक सूचना के अनुसार हनुमानगढ शहर की पुरानी आवासीय योजना तथा नई आवासीय योजना, डीटीओ ऑफिस के पास एवं नई आवासीय योजना, सूरतगढ में विभिन्न आय वर्ग / योजनान्तर्गत पंजीकृत आवेदकों, जिन्हें पूर्वग्रहण राशि हेतु आरक्षण पत्र जारी किये गये थे एवं पूर्वग्रहण राशि जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है, **आवास आवंटन लॉटरी** कार्यालय आवासीय अभियन्ता, म0नं0- 9/58-59, राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, हनुमानगढ जं0 में दिनांक **16.12.15** को आर.आई.एस.एल, जयपुर द्वारा तैयार वैब बेस्ड लाटरी सिस्टम द्वारा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, को अपरिहार्य कारणों से अब निम्न कार्यक्रम अनुसार किया जाना प्रस्तावित है :-

आवास आवंटन लॉटरी कार्यक्रम:-

क्र सं	विवरण	दिनांक
1	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय	07.12.15 कार्यालय समय तक
2	आवास आवंटन हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन दिनांक	08.12.15 सांय 02:00 बजे
3	मकान आवंटन लॉटरी दिनांक	11.12.15 सुबह 11:00 बजे

शेष शर्तें पूर्व में उपरोक्त संस्करण में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार लागू रहेगी। स्थाई/अंतिम सूची कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-हनुमानगढ, 9/58-59, रा0आ0मं0 कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन (हनुमानगढ शहर हेतु) एवं उपखण्ड कार्यालय, नई आवासीय योजना, मानकसर लिंक रोड, सूरतगढ (सूरतगढ शहर हेतु) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा रा0आ0मं0 की बेवसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध होगी।

आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0, खण्ड हनुमानगढ
Mob No:- 01552-244318 & 244176